छत्तीसगढ़ शासन,
विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 492002
// आदेश //

रायपुर दिनांक /07/2020

क्र0 /1556/21-ब/छ.ग./2020 – राज्य शासन, एतद्द्वारा, अवमानना प्रकरणों में शासकीय अधिकारी/कर्मचारी की ओर से पक्ष समर्थन करने के लिये नियुक्त विधि अधिकारी/अधिवक्ता को प्रत्येक प्रभावी सुनवाई तिथि हेतु पूर्व में जारी समस्त आदेश को निरस्त करते हुए यह आदेश देता है कि–

(1) अवमानना प्रकरणों में प्रत्येक प्रकरण हेतु (चाहे सुनवाई तिथि कितनी भी हो) समेकित फीस रू. 20,000/– नियत किया जाता है। साथ ही एक ही मूल प्रकरण से उद्भूत अन्य समान अवमानना प्रकरण के लिये, जिसमें आवेदक एक ही हो, परन्तु अनावेदक (अवमाननाकर्ता) शासकीय अधिकारी/कर्मचारी पृथक–पृथक हो, वहां पर रू. 5,000/– प्रत्येक अतिरिक्त प्रकरण/प्रत्येक अवमाननाकर्ता अधिकारी/कर्मचारी की दर से अतिरिक्त भुगतान किया जाये।

(2) जिस अवमानना प्रकरण में एक से अधिक अनावेदक (अवमाननाकर्ता) हो वहां पर फीस का भुगतान, समस्त अनावेदक (अवमाननाकर्ता) की ओर से प्रथम अनावेदक (अवमाननाकर्ता) की ओर से ही किया जावे।

उपयुक्त मानदंड के अनुसार संबंधित अधिवक्ता के फीस का व्यय उसी मांग संख्या एवं शीर्ष के अंतर्गत विकलनीय होगा, जिसके अंतर्गत संबंधित अधिकारी/कर्मचारी (प्रथम अनावेदक /अवमाननाकर्ता) के वेतन भत्ते आदि आहरित किये जा रहे है।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के जावक क्रमांक 576/ब–3/2020 दिनांक 16.06.2020 के द्वारा प्रदान की गई है।

छ.ग. के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(एन0के0 चन्द्रवंशी)
प्रमुख सचिव,
छ.ग. शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

क्रमशः पेज 2 पर ......

पृ.क्र0 5666/1556/21–ब/छ.ग./2020 – रायपुर, दिनांक 8/07/2020

प्रतिलिपि:–

1 महालेखाकार, छत्तीसगढ़, जीरो पाइंट, रायपुर,
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर,
3. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, इन्द्रावती भवन के पास, नवा रायपुर (छ0ग0) की ओर छ0ग0 राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु,
4. महाधिवक्ता, छ0ग0 बिलासपुर
5 माननीय मुख्यमंत्री जी के संयुक्त सचिव,
6 मुख्य सचिव, महोदय के स्टाफ आफिसर,
7. माननीय विधि मंत्री जी के निज सचिव की ओर माननीय मंत्री जी के अवलोकनार्थ,
8. प्रमुख सचिव, विधि के स्टाफ आफिसर की ओर प्रमुख सचिव विधि महोदय के अवलोकनार्थ,
9. छ0ग0 शासन के समस्त विभाग
10. याचिका शाखा, आपराधिक शाखा, सिविल शाखा, बजट शाखा, लेखा शाखा, विधि विभाग

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

03.7.2020

(मनीष कुमार ठाकुर)
अतिरिक्त सचिव
छ.ग. शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग